संख्या: 62/2017/3456/12-2-2017-60(6)/2017 टी0सी0-1

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेशा
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 13 सितम्बर, 2017

विषय: फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत प्रमाण पत्रों के वितरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत प्रमाण पत्रों के वितरण के सम्बन्ध में संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या- 1249 बी/क0नि0-6-2017 दिनांक 12 सितम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. संचार माध्यमों के द्वारा यह तथ्य संज्ञान में आ रहा है कि कतिपय जनपदों में आयोजित कैम्पों में अत्यन्त कम धनराशि के ऋण मोचन प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया है। उक्त के संदर्भ में स्पष्ट करना है कि पात्र किसानों के ऋण खातों में न केवल ऋण की धनराशि मोचित की गयी है वरन ऋणी किसानों द्वारा ऋण के प्रतिभुगतान की गयी धनराशि को घटाने के बाद उस पर आगणित अवशेष ब्याज का भी एक लाख रूपये की सीमा तक मोचन फसल ऋण योजना में विहित मानदण्डों के अनुसार किया गया है, जिसके कारण कतिपय प्रकरणों में धनराशि अत्यन्त कम परिलक्षित हुई है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद स्तर पर ऐसे समस्त कृषकों, जिनका रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) की धनराशि का ऋण मोचन किया गया है, की सूची सार्वजनिक रूप से सूचना विभाग के माध्यम से प्रसारित किया जाये।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राज प्रताप सिंह)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 62/2017/3456 (1)/12-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
3. सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. महानिदेशक, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
7. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक आफ बडौदा, बडौदा हाऊस, गोमती नगर, लखनऊ।
8. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।